रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042026-272180
CG-DL-E-30042026-272180

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2026/वैशाख 10, 1948
No. 299]	NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2026/VAISAKHA 10, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 323(अ).— केन्द्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिकता नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नागरिकता नियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु ऐसे मामलों में आवेदक यह भी ध्यान रखेगा कि अवयस्क बालक किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारित करते हुए किसी अन्य देश का पासपोर्ट धारण नहीं कर सकता है।"

3. उक्त नियमों में, नियम 29 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) धारा 7क के अधीन भारत का विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन, प्ररूप 28 में, निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल अर्थात् https://ociservices.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।"

4. उक्त नियमों में, नियम 31 में—

(i) "किया जाएगा" शब्दों के पूर्व आने वाले शब्द "दो प्रतियों में" का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (क) के उपखंड (ii) का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 33 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"33. भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण तथा धारा 7क के अधीन व्यक्तियों के रजिस्टर का अनुरक्षण.— (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 7क के अधीन भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, उसे प्ररूप 29 में अंतर्विष्ट विवरणों सहित भौतिक रूप में भारत के विदेशी नागरिक कार्ड अथवा इलेक्ट्रॉनिक भारत के विदेशी नागरिक (e-OCI) रजिस्ट्रीकरण जारी किया जाएगा।

(2) जारी कर्ता प्राधिकारी भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का अभिलेख, प्ररूप 30 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुरक्षित करेगा।"

6. उक्त नियमों में, नियम 34 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"34. भारत के विदेशी नागरिक कार्ड के त्यजन की घोषणा.— (1) धारा 7ग के अधीन किसी व्यक्ति को भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने वाले कार्ड के परित्याग की घोषणा, संबंधित भारतीय मिशन या पोस्ट अथवा संबंधित विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप 31 में, निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल, अर्थात् https://ociservices.gov.in पर की जाएगी और जहाँ भारत का विदेशी नागरिक कार्ड भौतिक रूप में जारी किया गया है, वहाँ भारत का विदेशी नागरिक कार्ड की मूल प्रति भी संबंधित भारतीय मिशन या पोस्ट अथवा संबंधित विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अभ्यर्पित की जाएगी।

(2) भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के परित्याग की घोषणा प्राप्त होने तथा भारत का विदेशी नागरिक कार्ड की मूल प्रति के समर्पण (जहाँ भारत का विदेशी नागरिक कार्ड भौतिक रूप में जारी किया गया है) पर, संबंधित भारतीय मिशन या पोस्ट अथवा संबंधित विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्ररूप 32 में, निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल, अर्थात् https://ociservices.gov.in पर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिस्वीकृति जारी करेगा तथा नियम 33 के उप-नियम (2) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुरक्षित अभिलेख से घोषणाकर्ता का नाम हटा देगा।"

7. उक्त नियमों में, नियम 35 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"35. भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का निरस्तीकरण.—
(1) जहाँ भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण को निरस्त करने का आदेश

किया गया है, वहाँ वह व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त किया गया है या वह कोई अन्य व्यक्ति जिसके पास संबंधित व्यक्ति को जारी किया गया भारत के विदेशी नागरिक कार्ड भौतिक रूप में है, केंद्रीय सरकार द्वारा लिखित सूचना के माध्यम से अपेक्षित किए जाने पर, उक्त कार्ड की मूल प्रति, ऐसे व्यक्ति को तथा ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, परिदत्त करेगा।

(2) भारत के विदेशी नागरिक कार्ड परिदत्त किए जाने पर, उसे निरस्त कर दिया जाएगा और यदि कार्ड परिदत्त नहीं किया जाता है, तो केंद्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उसे निरस्त माना जाएगा।

(3) जहाँ किसी व्यक्ति के संबंध में भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण को निरस्त करने का आदेश किया गया है जिसे इ-ओ सी आई रजिस्ट्रीकरण जारी किया गया है, वहाँ केंद्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि इसे निरस्त माना जाएगा।

(4) जारी कर्ता प्राधिकारी, नियम 33 के उप-नियम (2) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुरक्षित अभिलेख में, भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के निरस्तीकरण का उल्लेख करते हुए, उपयुक्त प्रविष्टि करेगा।"

8. उक्त नियमों में, नियम 42 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"42. अधिनियम के अधीन पारित आदेश के पुनरीक्षण के लिए प्राधिकारी.—
(1) यदि किसी व्यक्ति द्वारा, जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन नागरिकता हेतु उसके आवेदन के संबंध में किसी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, धारा 15 के अधीन पुनरीक्षण हेतु आवेदन किया जाता है, तो ऐसे आवेदन का

निपटारा उस प्राधिकारी से एक रैंक उच्च प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो नागरिकता के लिए आवेदन के निपटान हेतु विनिर्दिष्ट है।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा, जो धारा 7क के अधीन भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु उसके आवेदन के संबंध में संबंधित भारतीय मिशन या पोस्ट अथवा संबंधित विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पारित आदेश से, या धारा 7घ के अधीन भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के निरस्तीकरण पर उक्त प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, धारा 15 के अधीन पुनरीक्षण हेतु आवेदन किया जाता है, तो ऐसे आवेदन का निपटारा ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) उप-नियम (1) और (2) के अधीन आने वाले सभी मामलों में, पुनरीक्षण हेतु आवेदन का निपटारा, प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तिसंगत अवसर प्रदान करने के पश्चात किया जाएगा।"

9. उक्त नियमों में, नियम 42 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**42क. अधिनियम के अधीन किए गए आदेश के पुनर्विलोकन हेतु आवेदन.—** यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 15क के अधीन पुनर्विलोकन हेतु आवेदन किया जाता है, तो उक्त पुनर्विलोकन आवेदन का निपटारा केंद्रीय सरकार द्वारा, प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तिसंगत अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया जाएगा।"

10. उक्त नियमों में, अनुसूची 1 में—

(i) प्ररूप 1 के भाग 2 की क्रम संख्या 10 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:—

"10क. मैं, ..., यह भी ध्यान रखता/रखती हूँ कि मेरा अवयस्क बालक .... किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारित करते हुए किसी अन्य देश का पासपोर्ट धारण नहीं कर सकता।";

(ii) प्ररूप 28 में—

(i) भारतीय मूल के आवेदक से सम्बंधित भाग – क में क्रम संख्या 2 और उससे सम्बंधित प्रवष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) पति या पत्नी आधारित आवेदक से सम्बंधित भाग क में, क्रम संख्या 2 और उससे सम्बंधित प्रवष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) घोषणा में, पैरा 4 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"5. मैं एतद्द्वारा अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ कि—

(i) भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु संकलित की जाने वाली मेरी जैवमितीय जानकारी को, भविष्य में जब भी मैं फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम का लाभ उठाने हेतु आवेदन करूँ, उस प्रोग्राम के अंतर्गत मेरे रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए साझा किया जाए;

अथवा

(ii) भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु संकलित मेरी जैवमितीय जानकारी का उपयोग करते हुए, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंतर्गत मेरे स्वतः रजिस्ट्रीकरण पर विचार किया जाए।

[जो लागू न हो, उसे हटा दें]";

(ग) प्ररूप 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:—

"प्ररूप 29

[नियम 33(1) देखें]

नागरिकता नियम, 2009

आवेदक को भौतिक रूप में या ई - ओसीआई रजिस्ट्रीकरण के रूप में जारी किए जाने वाले भारत के विदेशी नागरिक कार्ड में सम्मिलित किए जाने वाले विवरण

फोटोग्राफ

1. विशिष्ट ओसीआई संख्या
2. ओसीआई रजिस्ट्रीकरण का प्रवर्ग
3. नाम
4. राष्ट्रीयता
5. लिंग
6. जन्म तिथि
7. ओसीआई जारी करने की तिथि
8. वैधता की तिथि
9. जारी करने का स्थान
10. पासपोर्ट संख्या
11. पूर्व पासपोर्ट (यदि कोई हो)
12. पिता का नाम
13. माता का नाम
14. पति/पत्नी का नाम
15. वर्तमान पता" ;

(iv) प्ररूप 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप 30

[नियम 33(2), देखें]

नागरिकता नियम, 2009

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7क के अधीन भारत के विदेशी नागरिक (OCI) कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत तथा धारा 7ग के अधीन त्याग करने वाले और धारा 7घ के अधीन रद्द किए गए व्यक्तियों का रजिस्टर

क्रम सं.	आवेदक का पूरा नाम और पता	पिता का नाम	माता का नाम	पति/पत्नी का नाम	जन्म स्थान एवं तिथि	राष्ट्रीयता	भारत के बाहर अंतिम स्थायी पता	भारत में निवास की तिथि	रजिस्ट्रीकरण की तिथि एवं स्थान	परित्याग की तिथि एवं स्थान	निरस्तीकरण की तिथि एवं स्थान	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

टिप्पण : इस रजिस्टर में क्रम संख्या भारत के विदेशी नागरिक कार्ड या ई - ओसीआई रजिस्ट्रीकरण में दी गई संख्या के अनुरूप होनी चाहिए।" ;

(v) प्ररूप 31 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

'प्ररूप 31

[नियम 34(1) देखें]

नागरिकता नियम, 2009

भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7ग(1) के अधीन भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के कार्ड अथवा ई-ओसीआई रजिस्ट्रीकरण के त्यजन की घोषणा

1. मैं, ………… (यहाँ घोषणाकर्ता का पूरा नाम और पता अंकित करें), पूर्ण आयु और विधिक क्षमता का हूँ तथा मेरा जन्म ………….. को ………….. (स्थान) पर हुआ था।
2. मैं भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हूँ।

3. मैं एतद्द्वारा अपने भारत के विदेशी नागरिक कार्ड का त्यजन करता /करती हूँ तथा अपने/भारत के विदेशी नागरिक कार्ड, जिसकी संख्या ……… है और जो ……… को ……… (स्थान) पर जारी किया गया था, को अभ्यर्पित करता/करती हूँ, ऐसे मामले जहाँ ओसीआई कार्ड भौतिक रूप में जारी किया गया हो ।(ओसीआई कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के त्यजन का कारण …………………………………………….. है।

4. मैं, …………. सत्यनिष्ठा और शुद्ध हृदय से घोषणा करता हूं/ करती हैं कि इस घोषणा में कथित पूर्वगामी विशिष्टियां सही हैं और मैं सत्यनिष्ठ घोषणा यह विश्वास करते हुए कि वह सही है, शुद्ध हृदय अंतःकरण से करता हूं/करती हूं।

तारीख ……………… हस्ताक्षर …………………

आज तारीख ....20............... को मेरे समक्ष किया गया और प्रतिज्ञान किया गया।

**हस्ताक्षर …………….

**पदनाम…..…………..

विशिष्टियां

1. पूरा नाम ……………………………………………………………………………… .
2. पता ………………………………………………………………………………………..
3. उपजीविका…………………………………………………………………… …………………..
4. जन्म स्थान और तिथि……………………………………………………………………
5. राष्ट्रीयता……………………………………………………………………………………..
6. पति या पत्नी का नाम……………………………………………………………………. ..
7. ओसीआई कार्ड या ई - ओसीआई रजिस्ट्रीकरण संख्या और जारी करने की तिथि …………………..
8. अप्राप्तवय बालकों के नाम और पूर्ण विशिष्टियां जो भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, यदि कोई हो …………………………

* कृपया मूल भारत के विदेशी नागरिक कार्ड भौतिक रूप में संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट या संबंधित विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अभ्यर्पित करें, उन मामलों में जहां ओसीआई कार्ड भौतिक रूप में जारी किया गया हो।

** नागरिकता नियम, 2009 के नियम 34 के अधीन विनिर्दिष्ट अभिहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम” ;

(vi) प्ररूप 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 32

[नियम 34(2) देखें]

नागरिकता नियम, 2009

अभिस्वीकृति

सुश्री/श्रीमती/श्री ………………., पुत्री/पत्नी/पुत्र [जो लागू न हो उसे हटाएं] ……………………., निवासी ………………………… से, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7ग(1) के अधीन भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के परित्याग की घोषणा प्राप्त हुई है, साथ में मूल ओसीआई कार्ड (यदि ओसीआई कार्ड भौतिक रूप में जारी किया गया हो)/ ई-ओसीआई [जो लागू न हो उसे हटाएं] रजिस्ट्रीकरण संख्या ……………… तारीख………………. जो …………………… में जारी किया गया था, भी संलग्न है।

……………………………………….

प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख ………………………."

11. उक्त नियमों में, अनुसूची 4 में, (क) सारणी के स्तंभ (2) में क्रम संख्या 8, 10 और 11 के सामने दिए गए तारांकन चिह्न (*) का लोप किया जाएगा (ख) सारणी के पश्चात्, टिपण्ण का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 24021/02/2026-ओसीआई]

नितेश कुमार व्यास, अपर सचिव।

टिप्पणी :- मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में सा. का. नि. 124(अ), तारीख 25 फरवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा. का. नि. 172(अ), दिनांक 11 मार्च, 2024 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

G.S.R. 323(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Citizenship Rules, 2009, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Citizenship (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Citizenship Rules, 2009 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the applicant in such cases shall note that the minor child cannot at any time hold the passport of any other country while also holding the Indian passport.".

3. In the said rules, in rule 29, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) An application for registration as an Overseas Citizen of India cardholder under section 7A shall be made in Form XXVIII electronically on the designated online portal, namely, https://ociservices.gov.in."

4. In the said rules, in rule 31, –

(**i**) in the opening portion, the words "in duplicate" shall be omitted;

(**ii**) in clause (a), sub-clause (ii) shall be omitted.

5. In the said rules, for rule 33, the following rule shall be substituted, namely:—

"**33. Registration as Overseas Citizen of India cardholder and maintenance of register of persons under section 7A**.— (1) Every person, who is registered as an Overseas Citizen of India cardholder under section 7A shall be issued an Overseas Citizen of India card in physical form or an electronic Overseas Citizen of India (e-OCI) registration containing the details as in Form XXIX.

(2) The issuing authority shall maintain a record of the persons registered as Overseas citizen of India cardholder as in Form XXX in electronic form.".

6. In the said rules, for rule 34, the following rule shall be substituted, namely :—

"**34. Declaration of renunciation of Overseas Citizen of India card**.— (1) A declaration of renunciation of the card registering a person as an Overseas Citizen of India cardholder under section 7C shall be made in Form XXXI electronically on the designated online portal, namely, https://ociservices.gov.in to the Indian Mission or Post concerned or the Foreigners Regional Registration Officer concerned and in case of Overseas Citizen of India card issued in physical form, the original of the Overseas Citizen of India card shall also be surrendered to the Indian Mission or Post concerned or the Foreigners Regional Registration Officer concerned.

(2) On receipt of the declaration of renunciation of the card registering as an Overseas Citizen of India cardholder and surrender of the original Overseas Citizen of India card (in cases where the Overseas Citizen of India card has been issued in physical form), the Indian Mission or Post concerned or the Foreigners Regional Registration Officer concerned shall issue an acknowledgment in Form XXXII electronically on the designated online portal, namely, https://ociservices.gov.in and remove the name of the declarant from the record maintained in electronic form under sub-rule (2) of rule 33.".

7. In the said rules, for rule 35, the following rule shall be substituted, namely:—

"**35. Cancellation of registration as Overseas Citizen of India cardholder**.— (1) Where an order has been made cancelling the registration as an Overseas Citizen of India cardholder, the person whose registration has been cancelled or any other person in possession of the Overseas Citizen of India card in physical form issued to the person concerned shall, when required by notice in writing by the Central Government, deliver the said card in original to such person and within such period as may be specified in the notice.

(2) On the Overseas Citizen of India card being delivered, it shall be cancelled and in case the card is not delivered, then the Central Government may direct that it shall be treated as cancelled.

(3) Where an order has been made cancelling the registration as an Overseas Citizen of India cardholder in respect of a person who has been issued an e-OCI registration, the Central Government may direct that the e-OCI registration shall be treated as cancelled.

(4) The issuing authority shall make an appropriate entry in the record maintained in the electronic form under sub-rule (2) of rule 33 stating the cancellation of registration as Overseas Citizen of India cardholder.".

8. In the said rules, for rule 42, the following rule shall be substituted, namely :—

"**42. Authority for revision of an order made under Act**.— (1) If an application for revision is made under section 15 by a person aggrieved by an order made by an authority with reference to his application for citizenship under the provisions of the Act, the application shall be disposed of by an authority one rank higher than the authority specified for disposal of the application for citizenship.

(2) If an application for revision is made under section 15 by a person aggrieved by an order made by an Indian Mission or Post concerned or the Foreigners Regional Registration Officer concerned with reference to his application for registration as an Overseas Citizen of India cardholder under section 7A or an order made by the said authorities on cancellation of the registration as an Overseas Citizen of India cardholder under section 7D, the application shall be disposed of by an authority as may be specified by the Central Government.

(3) In all such cases covered by sub-rules (1) and (2), the application for revision shall be disposed of after giving a reasonable opportunity to the person affected to present his case.".

9. In the said rules, after rule 42, the following rule shall be inserted, namely:—

"**42A. Application for review of order made under Act.—** If an application is made by a person for review under section 15A, the said application for review shall be disposed of by the Central Government after giving a reasonable opportunity to the person affected to present his case.".

10. In the said rules, in Schedule I, –

(a) in Form I, in PART II, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number shall be inserted, namely :—

"10A. I, ……………, have also noted that my minor child ………… cannot at any time hold the passport of any other country while also holding the Indian passport." ;

(b) in Form XXVIII,—

i. In Part A relating to Indian Origin Applicant, serial number 2 and the entries relating thereto shall be omitted;

ii. In Part A relating to Spouse Based Applicant, serial number 2 and the entries relating thereto shall be omitted;

iii. in the DECLARATION, after paragraph 4, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"5. I hereby give my consent to —

(i) share my biometric information that will be captured for registration as an Overseas Citizen of India cardholder for the purpose of my registration under the Fast Track Immigration Programme whenever I submit an application for availing such Programme in future;

or

(ii) consider my automatic registration under the Fast Track Immigration Programme using the biometric information captured for registration as an Overseas Citizen of India cardholder.

[Delete whichever is not applicable].";

(c) for Form XXIX, the following Form shall be substituted by following Form, namely:—

"FORM XXIX

[*See* rule 33(1)]

THE CITIZENSHIP RULES, 2009

DETAILS TO BE INCORPORATED IN THE OVERSEAS CITIZEN OF INDIA CARD TO BE ISSUED TO THE APPLICANT EITHER IN PHYSICAL FORM OR AS e-OCI REGISTRATION

Photograph

1. Unique OCI number
2. Category of OCI Registration
3. Name
4. Nationality
5. Gender
6. Date of Birth
7. OCI Issue Date
8. Valid Till
9. Place of Issue
10. Passport Number
11. Previous Passport (if any)
12. Name of Father
13. Name of Mother
14. Name of the Spouse
15. Present Address." ;

(d) for Form XXX, the following Form shall be substituted, namely :—

"FORM XXX

[*See* rules 33(2]

THE CITIZENSHIP RULES, 2009

REGISTER OF PERSONS REGISTERED AS OVERSEAS CITIZEN OF INDIA CARDHOLDER UNDER SECTION 7A, RENOUNCED UNDER SECTION 7C AND CANCELLED UNDER SECTION 7D OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955

Sl. No.	Full name and address of the applic-ant	Father's name	Mother's Name	Spouse Name	Place & date of birth	Natio-nality	Last perm-anent address out-side India	Date from which resident in India	Date & Place of Regist-ration	Date & Place in case of renunc-iation	Date & Place in case of cance-llation	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Note: Serial number in this register should correspond with the number in the Overseas Citizen of India Card or e-OCI registration." ;

(e) for Form XXXI, the following Form shall be substituted, namely:-

'FORM XXXI

[*See* rule 34(1)]

THE CITIZENSHIP RULES, 2009

DECLARATION OF THE RENUNCIATION OF THE CARD REGISTERING AS AN OVERSEAS CITIZEN OF INDIA CARDHOLDER/ e-OCI REGISTRATION UNDER SECTION 7C (1) OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955 MADE BY AN OVERSEAS CITIZEN OF INDIA CARDHOLDER

1. I, ………… (*here insert full name and address of the declarant*) am of full age and capacity and was born at ………….. on ……………
2. I am registered as an Overseas Citizen of India cardholder.
3. I hereby renounce my Overseas Citizen of India card and surrender* my Overseas Citizen of India Card bearing number ……… issued on……….. at ………. in physical form (in cases where OCI card has been issued in physical form). Reason for renunciation of the OCI Cardholder registration is …………………………………………..
4. I, ………… do solemnly and sincerely declare that the foregoing particulars stated in this declaration are true, and I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

Date……………… Signature …………………

Made and subscribed this ……. day of ………. 20 ………… before me.

**Signature …………….

** Designation…………..

Particulars

1. Full Name ……………………………………………………………….
2. Address ……………………………………………………………….
3. Occupation………………………………………………………………
4. Place and date of birth………………………………………………..
5. Nationality……………………………………………………………….
6. Name of wife or husband……………………………………………..
7. Number and date of issue of Overseas Citizen of India Card or e-OCI registration …………………..
8. Name and full particulars of minor children who are registered as Overseas Citizen of India cardholder, if any …………………………

* Please surrender the original Overseas Citizen of India card in physical form to the Indian Mission/ Post concerned or the Foreigners Regional Registration Officer concerned in cases where the OCI card has been issued in physical form.

** Signature and designation of the officer of the designated authority specified under rule 34 of the Citizenship Rules, 2009." ;

(f) for Form XXXII, the following Form shall be substituted, namely :-

"FORM XXXII

[*See* rule 34(2)]

THE CITIZENSHIP RULES, 2009

ACKNOWLEDGMENT

Received declaration of renunciation of registration as Overseas Citizen of India cardholder under section 7C(1) of the Citizenship Act, 1955 from Miss/ Ms/ Mr. ………………..D/o, W/o, S/o [*delete whichever is not applicable*]……………………… resident of …………………………. along with the original Overseas Citizen of India Card (bearing No. ………………. dated ………………. issued at …………………… in case of Overseas Citizen of India card issued in physical form)/ e-OCI registration number [*delete whichever is not applicable*].

…………………………………………

Signature with seal of the Receiving Officer

Date ………………………..".

11. In the said rules, in Schedule IV,

a. in the table, in column (2), against serial numbers 8,10 and 11, the symbol "*" shall be omitted.

b. after the table, the Note shall be omitted.

[F. No. 24021/02/2026-OCI]

NITESH KUMAR VYAS, Addl. Secy.

Note :- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide number* G.S.R. 124(E), dated the 25th February, 2009 and were last amended, *vide* G.S.R. 172(E), dated the 11th March, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.04.30 18:00:57 +05'30'